न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, XV, सीतामढ़ी

उपस्थित– कृष्ण कुमार चौधरी

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 228 / 2026

थाना –रीगा कांड संख्या 305 / 2025

आदेश दिनांक –16.05.2026

अखिलेश साह एवं अन्य .....आवेदकगण
बनाम्
बिहार सरकार ..... विपक्षी
आवेदक की ओर से :–श्री मुकेश कुमार झा, विद्वान अधिवक्ता
बिहार सरकार की ओर से :– अकील अहमद, विद्वान अपर लोक अभियोजक

आ दे श

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र आवेदक अभियुक्त **1. अखिलेश कुमार झा, 2. रूपसागर, 3. विनोद साह, 4. सीता देवी, 5. मीरा देवी** की ओर से थाना–परिहार कांड संख्या 312 / 2024, अंतगर्त धारा 103 (1), 113 (2), 3 (5), भा0 न्या0 सं0 के अंतर्गत दर्ज कांड में अग्रिम जमानत हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।

2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है, कोई अभियोजित अपराध नहीं किया है। आवेदकगण की ओर से पूर्व में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 721 / 2025 प्रचालित नहीं किये जाने के कारण खारिज किया जा चुका है अन्य कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। क्रमशः आवेदक गण के विरूद्ध पूर्व से कोई आपराधिक कांड दर्ज नहीं है। आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया संपूर्ण अभियोग बिल्कुल झूठा एवं बनावटी है। चिकिस्तकीय मत के द्वारा इस तरह की घटना का समर्थन नहीं किया गया है। मृतक हृदय रोग संबंधित से पीडित था एवं ईलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गयी, लेकिन आवेदकगण को गलत तरीके से इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। कांड अजमानतीय धारा में दर्ज है जिससे आवेदकगण को गिरफ्तारी की आशंका है। आवेदकगण भा0 ना0 सु0 सं0 की धारा 482 (2) के शर्तो का पालन करने को तैयार है। आवेदकगण न्यायालय के संतुष्टि के अनुसार बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है। ऐसी परिस्थिति में आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

3. बिहार सरकार की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक अकील अहमद द्वारा द्वारा जमानत का विरोध किया गया है एवं कहते है कि कांड हत्या के गंभीर अपराध से संबंधित है, इसलिए आवेदकगण का जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

4. उभय पक्षों को सुना।

5. अभियोजन का वाद सूचक के लिखित आवेदन के अनुसार संक्षेप में यह है कि सूचक दिनांक 14.10.2024 को पुलिस पदाधिकारी के समक्ष बयान देता है कि सुबह में अपने पिताजी के साथ घर के दरवाजा पर बैठा हुआ था, तभी विपिन कुमार, 2. अखिलेश कुमार, 3. रूप सागर, 4.

विनोद साह , 5. सीता देवी, 6. मीरा देवी, दरवाजे पर आये और बोलने लगे कि तुमलोग बराबर हमलोगों को गाली गलौज क्यों करते हो इस बात पर उसके पिता रामपृत साह बोले कि हमलोग आपलोगों को क्यों गाली देंगे। बात हो ही रहा था कि बिपिन कुमार अपने हाथ में लिए धारदार चाकू से पिता जी (रामप्रीत साह) को पेट में मार दिया। सूचक बीच बचाव करने लगा तो उसे भी बिपिन कुमार, अखिलेश साह, विनोद साह, लाठी डंडा लात घुसा से मारने लगा, पिताजी जोर जोर से हल्ला करने लगे तो घर से उसकी बहन लक्ष्मी देवी, जिपछी देवी और चाचा मनोज साह एवं संतोष साह दौड़ते हुए बीच बचाव करने आये तो रूप सागर, सीतादेवी और मीरा देवी सूचक की मां और बहन को भी लात घुसा–लाठी डंडा से पीटने लगी और उक्त सभी मिलकर सूचक के पिता, सूचक की मां और बहन को मारपीट करने लगे और उक्त सभी बोलने लगे कि आज जो भी आएगा उसे जान से मारा जाएगा। हल्ला गुल्ला सुनकर काफी संख्या में ग्रामीण इकटठा होने लगे। ग्रामीणों को आते देख उक्त सभी लोग भाग गये। पिताजी की स्थिति को देख ग्रामीणों एवं परिजनों के सहयोग से ईलाज हेतु स्वास्थ्य कन्द्र सुरसंड लाया गया वहां से सदर अस्पताल सीतामढी लाए जहां डॉक्टरों के द्वारा रामपृत साह को मृत घोषित कर दिया गया।

5. अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी का नामित अभियुक्त हैं एवं प्राथमिकी के अनुसार आवेदकगण पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक, सूचक के पिता, सूचक की मां और बहन को लाठी डंडा से मारपीट कर जख्मी करने का आरोप है, वहीं डॉक्टर द्वारा सूचक के पिता रामप्रीत साह को मृत घोषित किया गया है।

कांड दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तों के विरूद्ध **कुर्की** का तामीला पश्चात् आरोप पत्र दाखिल किया गया है, वहीं लवेश कुमार बनाम् एन0 सी0 टी0 ऑफ देल्ही ए0 आई0 आर0 ऑनलाईन 2012 एस0 सी0 323 के अनुसार अग्रिम जमानत आवेदन प्रयोज्य नहीं है।

उपरोक्त न्याय निर्णयन के आलोक में आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन बिना गुण एवं दोष पर विचार किये निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,
अपर सत्र न्यायाधीश –XV
सीतामढ़ी।

कार्यालयः– अपर सत्र न्यायाधीश–XV

प्रतिलिपि ज्ञापांक..... दिनांक.....
आदेश की प्रति कुमारी निवेदिता, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेण, सीतामढी के न्यायालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

अपर सत्र न्यायाधीश–XV, सीतामढी

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, XV, सीतामढ़ी

उपस्थित– कृष्ण कुमार चौधरी

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 228 / 2026

थाना –रीगा कांड संख्या 305 / 2025

आदेश दिनांक –16.05.2026